

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/एस-224/2019/१२१


दिनांक- 17/5/19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर

विषय:- श्रीमती शोभना के0 आर0, नर्स-2, विदेश जाने की अनुमति बाबत ।  
सन्दर्भ:-निदेशालय के पत्रांक 373 दिनांक 22.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती शोभना के0आर0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिवाणा, खण्ड तिजारा, अलवर के विदेश यात्रा जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिका दिनांक 13.11.18 को बिना अनुमति विदेश जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध की गई कार्यवाही से तत्काल निदेशालय को अवगत करावें।


  
संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

दिनांक- 17/5/19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/एस-224/2019/१२१

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तिजारा, अलवर को उनके पत्रांक 55 दिनांक 24.01.19 के सन्दर्भ में।
- 2- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

  
संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर